न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन – श्री छत्रपाल चौधरी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 67 / 2022 / राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. अशोक कुमार पि. मांगीलाल जाति दांगी नि. डोला तहसील पिडावा
2. जतनबाई पत्नि मांगीलाल जाति दांगी नि. डोला तहसील पिडावा
3. राजकुमार पि. मांगीलाल जाति दांगी नि. डोला तहसील पिडावा
4. किशनलाल पि. लक्ष्मण जाति दांगी नि. डोला तहसील पिडावा

– प्रार्थीगण

बनाम

1. फूलचन्द पि. लक्ष्मण जाति दांगी नि. डोला तहसील पिडावा
2. बापूलाल लक्ष्मण जाति दांगी नि. डोला तहसील पिडावा
3. गोकुल पि. शिवलाल जाति दांगी नि. डोला तहसील पिडावा
4. जगन्नाथ पि. शिवलाल जाति दांगी नि. डोला तहसील पिडावा
5. कारूलाल पि. शिवलाल जाति दांगी नि. डोला तहसील पिडावा
6. श्यामलाल पि. शिवलाल जाति दांगी नि. डोला तहसील पिडावा
7. मानसिंह पि. शिवलाल जाति दांगी नि. डोला तहसील पिडावा
8. कन्हैयालाल पि. प्रभूलाल जाति दांगी नि. डोला तहसील पिडावा
9. कारूलाल पि. मोतीलाल जाति दांगी नि. डोला तहसील पिडावा
10. गुलाबबाई पत्नि प्रभूलाल जाति दांगी नि. डोला तहसील पिडावा
11. गोपाललाल पि. मोती जाति दांगी नि. डोला तहसील पिडावा
12. बादामबाई पत्नि मोतीलाल जाति दांगी नि. डोला तहसील पिडावा
13. बादामबाई पत्नि रामबाबू जाति दांगी नि. डोला तहसील पिडावा
14. पूरीलाल पि. रामनारायण जाति दांगी नि. डोला तहसील पिडावा
15. अयोध्याबाई पत्नि गोपीलाल जाति दांगी नि. डोला तहसील पिडावा
16. भगवानसिंह पि. गोपीलाल जाति दांगी नि. डोला तहसील पिडावा
17. सालगराम पि. [illegible] तहसील पिडावा
18. राजस्थान सरकार [illegible] पिडावा

–अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhatrapal Chaudhary
Date: 2024.07.25 11:38:16 IST
Reason: SelfAttested

COURT 2024

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवन्यु एक्ट

उपस्थिति – वकील प्रार्थी – श्री नीलकमल त्रिवेदी

वकील अप्रार्थी – श्री विनोद जैन

निर्णय दिनांक : 26.06.2024

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम डोला तहसील डिडावा की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता स. 217 की आराजी किता 11 रकबा 2.8708 हेक्टर, खाता सं. 15 की आराजी किता 7 रकबा 0.6828 हेक्टर, खाता स. 434 की आराजी किता 8 रकबा 1.0243 हेक्टर, खाता स. 32 की आराजी किता 5 रकबा 0.5943 हेक्टर, खाता स. 209 की आराजी किता 1 रकबा 0.2529 हेक्टर, खाता स. 176 की आराजी किता 4 रकबा 4.0089 हेक्टर, खाता स. 260 की आराजी किता 6 रकबा 3.4651 हेक्टर, खाता स. 14 की आराजी किता 11 रकबा 3.6043 हेक्टर, खाता स. 433 की आराजी किता 8 रकबा 2.2890 हेक्टर, खाता स. 261 की आराजी किता 1 रकबा 1.0117 हेक्टर एवं खाता स. 28 की आराजी किता 8 रकबा 2.0741 हेक्टर भूमि के संबंध में एलआर एक्ट की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खातेदारी की है।

ग्राम डोला की भूमि ख.नं. 160 में हुए विधिक बंटवारे अनुसार अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 के हिस्से में नया नं. 1212/160 रकबा 0.5956 हेक्टर एवं प्रार्थी सं. 4 व अप्रार्थी सं. 1 व 2 के खसरा नं. 160 रकबा 0.6944 हेक्टर, अप्रार्थी सं. 4 लगायत 8 का खसरा नं. 1209/160 रकबा 0.5944 हेक्टर, अप्रार्थी सं. 9 लगायत 13 का खसरा नं. 1210/160 रकबा 0.3794 हेक्टर, अप्रार्थी सं. 16 लगायत 18 का खसरा नं. 1206/160 रकबा 1.0117 हेक्टर है। उपरोक्त जमाबंदी के रिकार्ड अनुसार सेकरीगेशन के समय राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं की गई जिस कारण राजस्व नक्शे का रकबा एवं जमाबंदी के रिकार्ड अनुसार मिलान नहीं होता है इसलिये राजस्व नक्शे में शुद्धि किया जाकर तरमीम किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

इसी प्रकार ग्राम डोला के ख.नं. 819 का भी विधिक बंटवारा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य हो चुका है जिसके नये खसरे नं. 1304/819, 1300/819, 1296/819, 1308/819, [illegible] 819 बने है। इन खसरा नं. पर भी प्रार्थीगण एवं [illegible] मौके पर काबिज काश्त है परन्तु राजस्व नक्शे में उत्तर [illegible] नक्शे में तरमीम कर दिया है जिसे न्यायहित में शुद्ध किया जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhatrapal Chaudhary
Date: 2024.07.25 11:38:16 IST
Reason: SelfAttested

COURT 2024

उपखण्ड अधिकारी
डिडावा, जिला [illegible] (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम डोला तहसील पिडावा की उक्त वादग्रस्त आराजी में राजस्व नक्शे को तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबंदी खाता सं. 217, 15, 434, 32, 209, 176, 260, 14, 433, 261, 28 की नकले एवं नक्शा की प्रति प्रस्तुत की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट श्री विनोद जैन द्वारा वकालातनामा प्रस्तुत कर जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के अनुसार तरमीम करने में अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं होने का निवेदन किया।

प्रकरण में तहसीलदार पिडावा द्वारा जवाब प्रस्तुत कर तरमीम अशुद्धि सेकीगेशन कार्य के दौरान होना बताकर तरमीम शुद्धि किये जाने का निवेदन किया। साथ में पटवारी हल्का की रिपोर्ट राजस्व रिकार्ड एवं मौके अनुसार नक्शे बनाकर पेश की गई।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार पिडावा की दिनांक 30.01.2023 एवं पटवारी हल्का की दिनांक 24.01.2023 की रिपोर्ट का अवलोकन कर विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में एल.आर.एक्ट की धारा 136 के अन्तर्गत सेकीगेशन कार्य के दौरान हुई तरमीम अशुद्धि को उभपक्षकार की सुनवाई कर शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम डोला की वादग्रस्त आराजी मूल ख.नं. 819 के संबंध में सेकीगेशन कार्य के दौरान हुई तरमीम अशुद्धि को मौके अनुसार शुद्ध किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छत्रपाल चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
उपजिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chhatrapal Chaudhary
Date: 2024.07.25 11:38:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner